न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़

अपील संख्या 24/2026 पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)

नारायणदत पुत्र श्रीराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी शाहपुर, तहसील बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड (राज०

––प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर, जिला कोटपूतली–बहरोड (राज०)

––अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय श्रीमान तहसीलदार बानसूर मुकदमा नं० 13/2025 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–
अपीलाण्टस वकील–हेमन्त शर्मा
रेस्पोडेन्टः–प्रार्थी पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–07.05.2026

1. यह कि संक्षिप्त में मुकदमें के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी के विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार बानसूर ने एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 49, स्थित ग्राम रामनगर, किस्म गैर मुमकिन रास्ता के क्षेत्रफल 0.03 पर मिन प्रार्थी द्वारा पक्की दीवार लगाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है।
2. यह कि मिन प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा जबाव प्रस्तुत कर बताया गया कि मिन प्रार्थी ने कोई कब्जा नहीं किया है। बल्कि मिन प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी, कब्जे एवं काश्त की भूमि आराजी खसरा नंबर 234/77 रकबा 1.52 हेक्टेयर बन्दोबस्त हाल स्थित ग्राम रामनगर, तहसील बानसूर का ही उपयोग उपभोग किया जा रहा है। प्रार्थी की उक्त भूमि के लगते खसरा नंबर 49 ग्राम रामनगर तथा खसरा नंबर 49 ग्राम रामनगर के लगते खसरा नंबर 422 ग्राम ओसपुर तहसील बानसूर किस्म गेर मुमकिन सड़क है जिस पर प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है तथा नापजोख

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

के बाद प्रशासन द्वारा बनाई गई सीमा के अन्दर ही प्रार्थी का निर्माण है तथा श्रीमान पटवारी हल्का ग्राम रामनगर द्वारा बिना नापजोख किये मनमाने तरीके से नपत की रिर्पोट दी है जो दुरूस्ती योग्य है। उसके बावजूद माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुनवाई का का अवसर दिये मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है जो अपारत किये जाने योग्य है। अतः यह प्रथम अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः—

1. यह कि आदेश माननीय अधीनस्थ न्यायालय मनमाना विधि विरूद्ध है। अतः अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि पटवारी हल्का ने दिनांक 01.09.2025 को प्रस्तुत नजरी नक्शा में विवादास्पद जगह पर खसरा नम्बर 49 ग्राम रामनगर की ना तो चौडाई अंकित की है, ना ही तथाकथित अतिक्रमित क्षेत्र की चौडाई अंकित की है जिससे यह कतई साबित नहीं होता कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण किया गया है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर व विवेचन नहीं कर अहम कानूनी गलती की है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.09.2025 को पैमाइश टीम द्वारा मौके पर पैमाइश कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्व टीम गठित करने का आदेश दिया। जिस पर प्रस्तुत तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 29.09.2025 में मिन अपीलान्ट द्वारा विवादास्पद जगह पर ना तो कोई अतिक्रमण करना बताया गया है, ना ही कोई नक्शा प्रस्तुत किया गया है, ना ही खसरा नम्बर 49 ग्राम रामनगर की कोई चौडाई अंकित की है ना ही तथाकथित अतिक्रमित क्षेत्र की चौडाई अंकित की है। इसके अतिरिक्त तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में भी शामिल नहीं किया है. ना ही उस पर निर्णय में कोई टिप्पणी की है जिससे स्पष्ट है कि कि प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस तथ्य पर कोई गौर व विवेचन नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी गलती की है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 03.07.25 व 23. 07.25 विधि विरूद्ध एवं अवैध है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि खसरा नम्बर 49 ग्राम रामनगर के लगते हुये गैर मुमकिन सड़क की भूमि खसरा नम्बर 422 ग्राम ओसपुर की चौडाई कितनी है तथा मौके पर कहाँ से कहाँ तक है यह भी अपने नोटिस में दर्ज नहीं किया। जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि खसरा नम्बर 49 ग्राम रामनगर व खसरा नम्बर 422 ग्राम ओसपुर की सीमायें मौके पर कहाँ मिलती है इस जानकारी के अभाव में प्रार्थी को नोटिस दिया जाना विधी विरूद्ध है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं कर अहम कानूनी गलती की है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

6. यह कि मिन प्रार्थी/अपीलान्ट का जो 0.03 भूमि का अनाधिकृत निर्माण बताया गया है उसकी लम्बाई और चौडाई कितनी है यह भी नहीं बताया गया है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि प्रार्थी/अपीलान्ट के पैट्रोलपम्प की लाईनबन्दी में अन्य कई लोगो के निर्माण व मकान बने हुये हैं। किन्तु उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। यानि यह माना गया है कि उन लोगों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। जब उनका अतिक्रमण नहीं माना गया तो प्रार्थी/अपीलान्ट का कैसे अतिक्रमण हो सकता है। इस तथ्य पर कोई गौर व विवेचन नहीं कर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अहम कानूनी गलती की है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
8. यह कि दिनांक 10.10.25 को प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित था जिस पर आगामी पेशी दिनांक 03.11.25 दी गई थी किन्तु उस दिन माननीय तहसीलदार बानसूर हाईकोर्ट पधारे थे इस कारण रीडर साहब ने कहा था कि बाद में तारीख देंगे। इस पर प्रार्थी बार–बार अधिनस्थ न्यायालय जाता रहा और तारीख तलाश करता रहा किन्तु प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं हुई। गत माह हल्का पटवारी ने बताया कि आदेश हो गया है। जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिया था। जिस पर नकल प्राप्त होने पर निर्णय की जानकारी हुई। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने मिन प्रार्थी को सुने बिना ही निर्णय पारित कर दिया। जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विरुद्ध है। अतः आदेश अदालत मातहत अपास्त किये जाने योग्य है।
9. यह कि दिनांक 20.02.26 को नकल प्राप्त हुई जिस पर समस्त तथ्यों की जानकारी हुई तथा नकल प्राप्त होते ही अधिवक्ता नियुक्त कर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुतं कर दिया है। अतः जानकारी से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है।
10. यह कि अपील उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।
11. यह कि माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।
12. यह कि अन्य वजूहात वरवक्त बहस अर्ज किये जायेंगे।

    अतः अपील मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.11.2025 को अपास्त करने के आदेश देने की कृपा करें।
13. पत्रावली जरिये वकील श्री अभिषेक शर्मा एवं हेमन्त शर्मा द्वारा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तल्बी हेतु नोटिस जारी किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड भेजा गया। जो शामिल पत्रावली है।
14. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपनी अपील में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा गलत रूप अपीलान्ट की जमीन के सामने मुख्य रोड़ पर अतिक्रमण दर्शाते हुये नक्सा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

पेश किया है तथा राजस्व टीम की पैमाईश की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बानसुर द्वारा एक तरफा निर्णय पारित करते हुऐ अपीलान्ट के विरूद्व बेदखली पैनल्टी जमा कराने के आदेश पारित किये है। जबकि अपीलान्ट की भूमि के सामने एमडीआर रोड़ बना हुआ है जो सुचारू रूप से चालु है। अपीलान्ट द्वारा विवादीत आराजी पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर गये बिना तथा भूमि की सीमाज्ञान कराये बिना झूठी रिपोर्ट तहसीलदार के समक्ष पेश की जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित किया गया अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 25/11/2025 निरस्त फरमाया जावें ।

15. पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट के द्वारा आराजी पर अतिक्रमण कर लिया गया था। पटवारी हल्का ने अपने मौका रिपोर्ट/बयानों में अपीलान्ट का अतिक्रमण प्रमाणित होने पर आदेश पारित किये गये है इसलिए अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाना योग्य है। अतः अपील खारिज फरमावें।

16. हमने उभय पक्षों की बहस एवं कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली के तथ्यों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट एवं उनके योग्य अधिवक्ता का कहना था कि पटवारी हल्का द्वारा बिना मौका देखे मात्र कयास के आधार पर उनके विरूद्व झुंठी अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित करते हुए बिना सुनवायी का अवसर प्रदान किये अपीलान्ट के बेदखली व पैनल्टी जमा कराने के आदेश पारित कर दिये जबकि अपीलान्ट द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रार्थी/अपीलान्ट को अनुपस्थित दिखाकर फैसला कर दिया गया जो की न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.11.2025 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बानसुर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं सांक्ष्य का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया ।

अभि. सिंह, जिला कलक्टर
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)